बिहार विधान–सभा वादवृत

(भाग–१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि १६ जुलाई, १९८१ ई०

विषय-सूची पृष्ठ

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या–२३, २४, २५	१–८
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या–१२५९, १९४१, १९४२, १९४३, १९४४ १९४५, १९४६, १९४७, १९४९, १९५०, १९८९ ..	८–२५
परिशिष्ट:– (प्रश्नों के लिखित उत्तर) .	२६–५६
दैनिक निबंध।	५७

टिप्पणी:— जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है।

अध्यक्ष—जब यह प्रश्न पहले आया था और उसे स्थगित किया गया था तो विरोधी दल के नेता, श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि इसको स्थगित नहीं करें, केवल इसका उत्तर परिचारित करा दिया जाय। अब इसका उत्तर परिचारित हो गया है। इसलिये इसे छोड़ दिया गया।

श्री नवल किशोर सिंह—हम आपसे अनुरोध करते हैं और विरोधी दल के नेता ने कहा भी है लेकिन रुल ९४ के अन्तर्गत इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा जाना चाहिए था। महंगाई के सम्बन्ध में प्रश्न था।

अध्यक्ष—विजनेश एडवाइजरी कमिटी में महंगाई, बिजली और कानून के बारे में विचार किया गया है।

श्री नवल किशोर सिंह—रुल ९४ के तहत इस प्रश्न के उत्तर को कार्यवाही में कैसे दर्ज आप करेंगे ?

अध्यक्ष—रुल ९४ के मुताबिक तो तब होगा जब आप लिख कर दीजियेगा।

श्री नवल किशोर सिंह—मैं आपसे रुल ९४ के मुताबिक कह रहा हूं।

अध्यक्ष—आप लिख कर दिजिएगा तब न।

श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, रुल में लिखा हुआ है और माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा तो आप उस पर ऐग्री कर गये, यह ठीक है लेकिन कोई माननीय सदस्य इस तरह से कहे तो कैसे होगा ?

अध्यक्ष—शांति, बैठ जांय।

सिमेंट घोटाले की जांच

१२५९। श्री रामाश्रय राय तथा श्री महेन्द्र नारायण झा 'आजाद'—क्या मंत्री, खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड में अंचल अधिकारी के अधीन वर्ष १९७८-७९, १९७९-८० एवं वित्तीय वर्ष १९८०-८१ में कुल कितने बोरे सिमेंट और चीनी परमिट पर वितरण के लिय दिये गये;

(२) क्या यह बात सही है कि अंचल अधिकारी, रोहड़ा ने उक्त सीमेंट एवं चीनी को बांटने के बदले अधिक-से-अधिक बोरों को अनियमित ढंग से बेच दिया;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त सिमेंट घोटाले की जांच निगरानी विभाग से कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

*श्री ललन शुक्ल--खंड (१) सिमेंट एवं चीनी की आपूर्त्ति के आंकड़े निम्न प्रकार ह :—

वर्ष ।	सिमेंट । बोरा	चीनी । क्वींटल
१९७८-७९	११८६	२६१
१९७९-८०	३९१८	११६
१९८०-८१	७०९२	४९३

खंड (२) अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सिमेंट एवं चीनी का वितरण अंचल सलाहकार समिति की अनुशंसा पर परमिट के आधार पर की गई है। अतः वितरण में अनियमितता नहीं बरती गई है ।

खंड (३) उपर्युक्त खंडों के उत्तर के आलोक मे प्रश्न नहीं उठता है ।

*श्री रामाश्रय राय—क्या सरकार को मालूम है कि उन्होंने अंचल सलाहकार समिति की बैठक नहीं की ह और सारे सिमेंट और चीनी को ब्लैक में बेंच दिया है ?

(जवाब नहीं)

अध्यक्ष —माननीय सदस्य, श्री रामदेव वर्मा का भी एक प्रश्न इसी के बारे में था कि अनियमितता हुई है । आप (मंत्री) इन दोनों प्रश्नों की जांच करा दीजिए ।

*श्री शंकर दयाल सिंह--ठीक है ।

*श्री कपूरी ठाकुर—वहां के अधिकारी ने अंचल सलाहकार समिति की स्वीकृति के प्रत्याशा में अपने मन से, मनमानी ढंग से आवंटन कर दिया था, चूंकि इसमें उनका अधिकार नहीं था और अधिकार है अंचल सलाहकार समिति का तो मैं सरकार से जानना

चाहता हूं कि उक्त अधिकारी का इस अनियमितता वाली कार्रवाई के बारे में सरकार ने जांच कर के क्या फैसला लिया ?

श्री ललन शुक्ल—जांच करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या १४२७ के सम्बन्ध में चर्चा ।

*श्री शंकर प्रताप देव—इसके लिये समय चाहिए । यह प्रश्न हमारे यहां सिंचाई विभाग से बहुत विलम्ब से प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष—यह प्रश्न हमारे यहां से १६ जून १९८१ को गया है और आज १६ जुलाई १९८१ है यानी पूरे एक महीने हो गये, तो भी उत्तर तैयार नहीं है ।

श्री शंकर प्रताप देव—सिंचाई विभाग से हमारे यहां आने में बहुत विलम्ब हुआ है, १३ जुलाई १९८१ को हमारे विभाग में यह आया है ।

अध्यक्ष—इसका जवाब आप अगली तिथि को निश्चित रूप से देंगे ।

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

*१९४१ । श्री अजित सरकार—क्या मन्त्री, लघु सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत कार्यपालक अभियन्ता, बिहार जल विकास निगम ने जुलाई, १९८० में श्री शेषनाथ सिंह को जूनियर मेकेनिक के पद पर नियुक्त किया था;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त शेषनाथ सिंह को जुलाई, १९८० के दिसम्बर, १९८० तक कार्यरत दिखाकर प्रशाखा पदाधिकारी श्री चन्द्रभूषण सिंह (किशनगंज) ने बिल जमा किया जिसका एम० बी० नं० २८१ तथा रेकर्ड में पेज नं० ८८ से ९० है जिसे एस० डी० ओ०, नलकूप पूर्णियां ने जनवरी, १९८१ में रद्द कर दिया;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री मणि सिंह प्रशाखा पदाधिकारी, छिन्नण, पूर्णियां द्वारा फिर श्री शेषनाथ सिंह को जुलाई, १९८० से जनवरी, १९८१ तक कार्यरत बताते हुए बिल दिया गया जिसका एम०-बी० न० ३०८ तथा पेज न० ५७—६० है और जिसे उक्त कार्यपालक अभियंता, पूर्णियां ने अपने स्तर से पास कर पैसा निकासी कर भुगतान कर दिया;